प्रमोद कुमार

बनाम

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा

आयोग एवं अन्य

(सिविल अपील सं. 2568/2006)

7 मार्च, 2008

(एस. बी. सिन्हा एवं हरजित सिंह बेदी, J.J.)

सेवा कानूनः

तदर्थ आधार पर शिक्षक की नियुक्ति - बी.एड. डिग्री किसी ऐसे संस्थान से जो प्रासंगिक कानून के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है - सेवाओं की समाप्ति - निर्णयः यदि किसी पद पर भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं होती है तो आम तौर पर उसे माफ नहीं किया जा सकता है - कानून/वैधानिक नियमों के विपरीत नियुक्ति कानून की दृष्टि में शून्य होगी - नियुक्ति तदर्थ है, तथ्य का पता चलने पर प्रबंधन काे इसे तुरंत समाप्त कर देना चाहिए था - उच्च न्यायालय ने बर्खास्तगी आदेश को सही ठहराया - यह चिंता का विषय है कि अभ्यर्थियों के पास मौजूद डिग्रियां वैध हैं या नहीं, इसकी पुष्टि किए बिना नियुक्तियां दी जा रही हैं।

अपीलकर्ता, जिसके पास मैथिली विश्व विद्यापीठ, संकट मोचल धाम, दरभंगा बिहार से प्राप्त बी.एड. डिग्री है, को एड होक सहायक शिक्षक के रूप

में एक प्रबंधन संचालित इंटर कॉलेज, उत्तरप्रदेश में इसके प्राचार्य/प्रबंधक द्वारा दिनांक 29.11.1988 को नियुक्त किया गया था। जब यह ज्ञात हुआ कि अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त बी.एड. डिग्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम या किसी अन्य राज्य अधिनियम के तहत किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त नहीं थी, तब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम या किसी अन्य राज्य अधिनियम के तहत किसी विश्वविद्यालय से उन्हें बी.एड. प्राप्त करने के लिए कहा गया था। संस्था का प्रबंधन बदलने पर अपीलार्थी के विरुद्घ इस आरोप पर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई थी कि उसने मनगढंत एवं अवैध बी.एड. डिग्री के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की थी। उक्त कार्यवाही के कारण उनकी सेवाएं समाप्ति की गईं। रिट याचिका और उसके बाद एक विशेष अपील के माध्यम से उच्च न्यायालय में असफल होने के बाद शिक्षक ने तत्काल अपील दायर की।

न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए-

अभीनिर्धारित: 1.1 किसी पद को धारण करने के लिए योग्यताएं एक कानून के तहत निर्धारित की गई हैं, इसके उल्लंघन में कोई भी नियुक्ति अमान्य होगी। यदि किसी पद पर भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं पूरी नहीं होती हैं तो आमतौर पर उसे माफ नहीं किया जा सकता है। ऐसे कृत्य की पुष्टि नहीं की जा सकती। कानून/वैधानिक नियमों

के विपरीत नियुक्ति, कानून की दृष्टि से अमान्य होगी। किसी अवैधता को नियमित नहीं किया जा सकता, खासकर जब कानून स्पष्ट रूप से ऐसा

कहता है। मैथिली विश्व विद्यापीठ, संकट मोचन धाम, जहां से अपीलकर्ता ने बी.एड. की डिग्री प्राप्त की है, वह किसी संस्था को दिया गया नाम था, एवं कोई विश्वविद्यालय नहीं था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि उक्त संस्थान को किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी। कोई डिग्री तभी मान्यता प्राप्त होती है जब वह विश्व विद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 या किसी राज्य या संसदीय अधिनियम के तहत गठित विश्व विद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है। कोई भी विश्व विद्यालय बिना किसी वैधानिक समर्थन के निजी प्रबंधन द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता है। (पैरा 15, 17, 19) (569-ए,सी,डी,एफ; 570 ए,बी)

1.2 यह चिंता का विषय है कि राज्य के अधिकारियों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि किए बिना नियुक्तियां दी जा रही हैं कि उम्मीदवार के पास मौजूद डिग्री वैध है या नहीं। मौजूदा मामले में, यह एक तदर्थ नियुक्ति थी। स्कूल प्रबंधन को जब यह जानकारी प्राप्त हुई कि अपीलकर्ता के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड. की डिग्री नहीं है तो उसकी सेवाएं तुरंत समाप्त कर दी जानी चाहिए थीं। उनके द्वारा अज्ञात कारणों से ऐसा नहीं किया गया। यह दर्शित नहीं किया गया है कि स्कूल के प्रबंधन के पास अपीलकर्ता को उसकी सेवाओं के दौरान किसी अन्य विश्वविद्यालय से अपेक्षित डिग्री प्राप्त करने की अनुमति देने का कोई अधिकार था। यहां तक कि आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में भी ऐसा नहीं कहा। (पै र 16 एवं 20) (569-बी; 570-सी,डी)

रामभगत शर्मा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा एवं अन्य **1997(4) RSJ 134** से भिन्न निर्णय-

रविंदर शर्मा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य **1995 (1) SCC 138** मो. सरताज एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. एवं अन्य **JT 2006 (1) SC 331**, अशोक कुमारसोनकर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य **2007 (4) SCC 54-** पर आश्रित निर्णय

2.1 प्रबंधन परिवर्तन के बाद अपीलकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई होगी। यह मानते हुए कि उक्त कार्यवाही अवमानना कार्यवाही शुरू होने के बाद शुरू की गई थी, अपीलकर्ता ने हालांकि परमादेश रिट जारी करने के लिए या उसकी प्रकृति में रिट याचिका दायर की है। इसलिए उसे स्वयं के हक में कानूनी अधिकार और राज्य में उसके अनुरूप कानूनी कर्तव्य का अस्तित्व स्थापित करना होगा। यदि उसके पास किसी पद पर बने रहने के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं है तो उसे पद पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हो सकता। इसलिए यह मायने नहीं रखता कि उसके खिलाफ उक्त कार्यवाही क्यों और कब शुरू की गई। (पैरा 22) (571-डी, ई)

शैंदा हसन बनाम स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश एवं अन्य **1990 (3) SCC 48**, डाॅ. एम.एस. मुधोल एवं अन्य बनाम एस.डी. हलेगकर एवं अन्य **1993 (3) SCC 591**, संतोष यादव बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा एवं अन्य **1996 (9) SCC 320** से भिन्न निर्णय-

2.2 अपीलार्थी की सेवाएं वर्ष 1997 में समाप्त कर दी गई थीं तथा उत्तर प्रदेश के तहत जारी कठिनाइयों को दूर करने के आदेश जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 के अंतर्गत जारी किये गये थे, के तहत अंतिम तिथि सन 1998 निर्धारित की गई थी। अतः उक्त प्रावधान तत्काल मामले में लागू नहीं है। (पैरा 28) (574-ए, बी)

प्रभात कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. एवं अन्य **1996 (10) एससी 62-** पर आश्रित निर्णय-

राधा रायजादा बनाम प्रबंधन समिति, विद्यावती दरबारी गर्ल्स कॉलेज **(1994) AII L.J. 1077-** निर्दिष्ट

सिविल अपीलीय न्याय निर्णयः सिविल अपील सं 2568/2006

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एस.ए. सं. 216/1997 के निर्णय एवं आदेश दिनांकित 24.08.2004 से

अपीलार्थी की ओर से पी. एस. पटवालिया, डी के गर्ग, भीम प्रताप सिंह, अमन प्रीत सिंह राही, अभिषेक गर्ग एवं आर.सी. कौशिक।

उत्तरदाता की ओर से एस.आर. सिंह, टी.एन. सिंह, एस.के, मिश्रा, प्रशांत चौधरी, संदीप, जितेंद्र मोहन शर्मा एवं निरजना सिंह।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति **एस.बी.सिन्हा** द्वारा दिया गया-

1. अपीलकर्ता को एक इंटरमीडिएट कॉलेज में सीटी ग्रेड में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। यह स्वीकृत तथ्य है कि भर्ती के लिए आवश्यक योग्यताएं और अन्य शर्तें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। अधिनियम की धारा 16 आवश्यक योग्यताओं का प्रावधान करती है। अधिनियम के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा 1993 में नियम बनाए गए थे जिन्हें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग नियम (नियमावली) के रूप में जाना जाता है।

अधिनियम की धारा 16 इस प्रकार है:

> "16. नियुक्तियाँ केवल बोर्ड की सिफारिशों पर की जाएंगी - (1) इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 या उसके अधीन बनाए गए विनियमों में किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद, किंतु धारा 12, 18, 21-बी, 21-सी, 21-डी, 33, 33-ए, 33-बी, 33-सी, 33-डी, 33-ई और 33-एफ के प्रावधानों के अधीन रहते हुए शिक्षक की प्रत्येक नियुक्ति, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2001 के प्रारंभ की तारीख या उसके बाद कार्यान्वयन बोर्ड की संस्तुति पर ही प्रबंधन द्वारा की जाएगी।"

परंतु छंटनी किए गए कर्मचारियों के संबंध में, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16-ईई के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे:

बशर्ते कि एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्थानांतरण द्वारा शिक्षक की नियुक्ति, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16-जी की उपधारा (2) के खंड (सी) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार की जा सकती है:

(2) उपधारा (1) के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई कोई भी नियुक्ति शून्य होगी।"

2. अधिनियम की धारा 16ई, 16एफ और धारा 16एफएफ के तहत निर्धारित नियमों में मास्टर्स और शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई थी।

नियमों का नियम 3 इस प्रकार है:-

"3. शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं और अनुभव, आदि। - (1) शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के तहत बनाए गए विनियमों के अध्याय II के तहत विनियम 1 में दी गई है।

(2) कोई भी पुरुष किसी संस्था के प्रमुख या बालिकाओं की संस्था में शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि इस उप-नियम में निहित कोई भी शर्त निम्नलिखित के संबंध में लागू नहीं होगी-

(i) किसी बालिका संस्थान में पहले से ही स्थायी रूप से कार्यरत शिक्षक को किसी उच्च शिक्षक के पद पर पदोन्नति या नियुक्ति के लिए, जो उसी संस्थान में किसी संस्थान के प्रमुख का पद न हो।

(ii) किसी अंधे व्यक्ति को किसी संस्थान में संगीत विषय के शिक्षक के रूप में नियुक्ति।

बशर्ते कि जब किसी बालिका संस्थान में शिक्षक के पद पर, संस्था के प्रमुख के पद के अतिरिक्त उपयुक्त महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है या किसी अन्य पर्याप्त कारण से आयोग संतुष्ट है कि यह संस्था व छात्रों के हित में है, वह ऐसे पद के लिए किसी पुरुष उम्मीदवार की सिफारिश कर सकता है:

बशर्ते कि पूर्ववर्ती प्रावधान के अनुसार किसी पुरुष उम्मीदवार की सिफारिश करने से पहले, आयोग निदेशक और प्रबंधन के विचार प्राप्त कर सकता है और उन पर विचार कर सकता है।

3. यह न तो संदेह में है और न ही विवाद में है कि उक्त अधिनियम के लागू होने से पहले, सहायक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित मामले यूपी इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (1921 अधिनियम) द्वारा शासित होते थे। 1921 के अधिनियम के साथ पढ़े गए उपर्युक्त प्रावधानों का एक मात्र अवलोकन स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिनियम (यूजीसी अधिनियम) या किसी अन्य राज्य अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री का होना बिल्कुल जरूरी है और अभी भी अनिवार्य है।

4. अपीलकर्ता ने स्वीकार किया कि उसने बी.एड. की डिग्री मैथिली विश्व विद्यापीठ, संकट मोचन धाम दरभंगा, बिहार से प्राप्त की है। कथित तौर पर उक्त संस्थान का नाम वर्ष 1982 में भारत सरकार के शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों की निर्देशिका' में शामिल था। हालांकि यह स्वीकार किया गया है कि यूजीसी अधिनियम के तहत यह मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं था।

5. उनकी नियुक्ति 29.11.1988 को प्रधानाचार्य/प्रबंधक, श्री जवाहर इंटर कॉलेज बामनौली (मेरठ) द्वारा यह कहते हुए की गई थी;

> "आपको खुशी के साथ सूचित किया जाता है कि कॉलेज की शिक्षक चयन समिति ने आपको 20.11.1988 को आयोजित साक्षात्कार के आधार पर श्री शिव कुमार के इस पद पर पदावनत या उपरोक्त पद पर सीटी ग्रेड में तदर्थ सहायक शिक्षक के रूप में अल्पावधि रिक्ति पर नियुक्त किया है। आयोग द्वारा चयनित व्यक्ति की नियुक्ति तक कृपया 10 दिनों के भीतर उपरोक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करें, अन्यथा आपका यह नियुक्ति पत्र रद्द समझा जायेगा।"

6. विश्वविद्यालय को यह ज्ञात हो गया कि उसके पास आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई कोई डिग्री नहीं थी।

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से दो वर्ष की अवधि के भीतर उन्हें बी.एड. प्राप्त करने के लिए कहा गया था। दिनांक 18.02.1993 के एक पत्र द्वारा उन्हें ऐसी डिग्री प्राप्त करने का अवसर दिया गया था;

> "आप, श्री प्रमोद कुमार, सहायक शिक्षक सीटी ग्रेड, जानते हैं कि आपने मैथिली विश्वविद्यापीठ दरभंगा से बी.एड. की डिग्री हासिल की है। हमें विश्वसनीय स्रोतों से पता चला है कि उक्त विश्वविद्यालय जहां से आपने बी.एड. की डिग्री हासिल की है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।
>
> इससे पूर्व भी संस्था प्रबंधक श्री नरेश सिंह राठी द्वारा भी आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से दो वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड. प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। अब अंतिम अवसर के रूप में, मैं आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड. की डिग्री प्राप्त करने का निर्देश देता हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप बी.एड. की

डिग्री प्राप्त करें। अन्यथा भविष्य में प्रबंध समिति उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी।"

7. उन्होंने बी.एड. की महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा) से पत्राचार परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रार्थना की। कथित तौर पर, ऐसी अनुमति दी गई थी और उन्होंने अपेक्षित डिग्री प्राप्त की थी। हालाँकि, हमारे सामने केवल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक के परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी की गई मार्कशीट रखी गई है। क्या पत्राचार पाठ्यक्रम के जरिये उक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई बी.एड. की डिग्री वैध है और यूपी राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं, यह ज्ञात नहीं है।

8. अन्य बातों के अलावा, इस आधार पर कि उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया था, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसे 1989 की सिविल विविध रिट याचिका संख्या 1338 के रूप में चिह्नित किया गया था। यह देखने पर कि उन्हें वेतन दिनांक 01.01.1991 से प्राप्त हो रहा था, निर्णय और आदेश दिनांक 05.07.1996 द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को दिनांक 01.12.1988 से 31.12.1990 तक के अपीलकर्ता के बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया।

9. कथित तौर पर, चूंकि उक्त आदेश की अनुपालना नहीं की गई थी, एक अवमानना याचिका दायर की गई थी जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

हालाँकि, यह विवाद में नहीं है कि 11.01.1987 को या इसके आसपास उन्हें कारण बताने का नोटिस इस आधार पर दिया गया था कि उन्होंने मनगढ़ंत और अवैध बी.एड. डिग्री के आधार पर अपनी नियुक्ति प्राप्त की थी। उनके द्वारा दिनांक 16.01.1997 को कारण दर्शाया गया।

10. इसके बाद अपीलकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। उसके पूरा होने पर दिनांक 12.02.1997 के एक आदेश द्वारा उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गईं। उन्होंने उक्त आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए एक रिट याचिका दायर की। 09.03.1997 के एक फैसले और आदेश के आधार पर, उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया:

"पक्षों की संबंधित दलीलों पर विचार करने और स्वीकृत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मैंने पाया कि याचिकाकर्ता को मूल रूप से तब नियुक्त किया गया था जब माना गया कि उसके पास उचित योग्यता नहीं थी। याचिकाकर्ता यह दिखाने में विफल रहा है कि किन परिस्थितियों में किसी ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई शिक्षा स्नातक की डिग्री की ऐसी योग्यता जो गैर-मान्यता प्राप्त थी, के होते हुए उसे वैध आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा होने पर नियुक्ति ही खराब है। ऐसे मामले में

रोक का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस संबंध में कानून रविंदर शर्मा एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य ने 1995 (1) एससीसी 138 के मामले में तय किया गया है।

मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता की नियुक्ति को मंजूरी नहीं मिली थी और उसे कोर्ट के आदेश के तहत ही वेतन दिया गया था। इसके अलावा यह स्वीकृत है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति उचित योग्यता के बिना हुई थी और इस तरह याचिकाकर्ता की नियुक्ति उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16-ई का उल्लंघन थी। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 16-सी(3) के तहत सुरक्षा का हकदार नहीं है।

11. इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में अपीलकर्ता के इस तर्क पर विचार किया कि उसकी सेवाओं को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की धारा 33-ए और धारा 33-बी के अनुसार नियमित किया जाना चाहिए था क्योंकि भौतिक बिंदु पर उसके पास निर्धारित योग्यता थी।

12. उक्त निर्णय और आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा की गई एक विशेष अपील को डिवीजन बेंच ने खारिज करते हुए निर्धारित किया हैः

> "जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए, हमारा

विचार है कि याचिकाकर्ता की सहायक शिक्षक के पद पर प्रारंभिक नियुक्ति, नियमों के विरुद्ध होने के कारण पूरी तरह से अवैध और शून्य है, उसकी नियुक्ति संस्थान को आगे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, भले ही वह बाद में एक और बी.एड. की डिग्री प्राप्त करने में कामयाब हो गया हो। हम विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ पूरी तरह सहमत हैं, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत परिकल्पित क्षेत्राधिकार के तहत हस्तक्षेप के लिए कोई अच्छा आधार नहीं मिला है। इस प्रकार, रिट याचिका में दिए गए निर्णय को वर्तमान इंट्रा कोर्ट अपील में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि याचिका में योग्यता की कमी है और लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के इसे खारिज कर दिया जाता है।"

13. इस अपील के समर्थन में अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी.एस. पटवालिया ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुत किया:

(i) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता ने कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छिपाया और प्रबंधन को पता था कि उसके पास

मौजूद डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान नहीं की गई थी, यह ऐसा मामला नहीं है जहां यह कहा जा सके कि उसने कोई अपराध किया या संस्था के साथ धोखाधड़ी की है।

(ii) किसी भी स्थिति में, चूंकि प्रबंधन ने उन्हें नई डिग्री प्राप्त करने की अनुमति दी थी, जिसे प्राप्त करने के बाद उनकी सेवाओं को जारी रखने का निर्देश दिया जाना चाहिए था।

(iii) प्रबंधन की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण थी क्योंकि विभागीय कार्यवाही प्रबंधन में बदलाव एवं संस्थान के प्रबंधन के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने के उपरांत शुरू की गई थी।

(iv) अपीलकर्ता ने सन 1988 से 9 वर्षों से अधिक समय तक संस्थान में सेवा की है, उच्च न्यायालय को रिट आवेदन की अनुमति देनी चाहिए थी।

14. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एसआर सिंह ने प्रस्तुत किया:

(ए) अपीलकर्ता के पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कोई वैध डिग्री नहीं होने के कारण, उसकी नियुक्ति अवैध थी।

(बी) 1993 के नियम 3 के अनुसार किसी पद पर नियुक्ति के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री प्रदान होना अनिवार्य है। इसलिए, बाद का अधिग्रहण उसके बचाव में नहीं आएगा।

(सी) अपीलकर्ता ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 के प्रावधानों के संदर्भ में अपनी सेवाओं के नियमितीकरण के लिए पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा नहीं किया है, उच्च न्यायालय ने उक्त प्रार्थना को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

15. किसी पद को धारण करने के लिए योग्यताएं एक क़ानून के तहत निर्धारित की गई हैं। इसके उल्लंघन में कोई भी नियुक्ति अमान्य होगी।

16. यह कुछ चिंता का विषय है कि राज्य के अधिकारियों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि किए बिना नियुक्तियां दी जा रही हैं कि उम्मीदवार के पास मौजूद डिग्री वैध हैं या नहीं। यह एक तदर्थ नियुक्ति थी. इसके बावजूद उन्हें दूसरे विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने की अनुमति क्यों दी गई, इसकी जानकारी नहीं है।

17. यदि किसी पद पर भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं होती है, तो आमतौर पर उसे माफ नहीं किया जा सकता है। ऐसे कृत्य की पुष्टि नहीं की जा सकती। क़ानून/वैधानिक नियमों के विपरीत नियुक्ति क़ानून की दृष्टि से अमान्य होगी। किसी अवैधता को नियमित नहीं किया जा सकता, खासकर जब क़ानून स्पष्ट रूप से ऐसा कहता है। केवल

अनियमितता हो सकती है। *{सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी (3) एवं अन्य [(2006) 4 एससीसी 1], नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम सोमवीर सिंह [(2006) 5 एससीसी 493] और पोस्ट मास्टर जनरल, कोलकाता एवं अन्य बनाम टूटू दास (दत्ता) [(2007) 5 एससीसी 317]}*

18. भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न संस्थान उभरे हैं जो यह दर्शाते हैं कि उनकी डिग्रियाँ मान्यता प्राप्त हैं। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त संस्था द्वारा अपीलकर्ता को ऐसा कोई अभ्यावेदन भी नहीं दिया गया है। उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों की निर्देशिका केवल संस्थानों का विवरण देती है। उसमें यह बयान नहीं दिया गया कि यह एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है।

19. मैथिली विश्व विद्यापीठ संकट मोचन धाम एक संस्था को दिया गया नाम था। यह कोई विश्वविद्यालय नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी।

यह स्वीकृत तथ्य है कि यह एक निजी तौर पर प्रबंधित संस्था है। हालाँकि इसमें मध्यमा, विशारद, शास्त्री, आचार्य, विद्याभास्कर, विद्यारत्न, विद्यावारिधि, विद्यावाचस्पति, महा-महोपाध्याय जैसे पाठ्यक्रम बड़ी संख्या में उपलब्ध थे, लेकिन इसमें शिक्षकों की संख्या केवल नौ थी। उसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, यह ज्ञात नहीं है। नौ शिक्षकों की संख्या के

साथ किसी संस्थान को कैसे चलाया जा सकता है, इसकी अच्छी तरह कल्पना की जा सकती है।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि उक्त संस्थान को किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी। कोई डिग्री तभी मान्यता प्राप्त होती है जब वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 या किसी राज्य या संसदीय अधिनियम के तहत गठित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है। कोई भी विश्वविद्यालय बिना किसी वैधानिक समर्थन के निजी प्रबंधन द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता है।

20. स्कूल प्रबंधन को जब ज्ञात हुआ कि अपीलकर्ता के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड. की डिग्री नहीं है, उसकी सेवाएं तुरंत समाप्त कर दी जानी चाहिए थीं। उसने ऐसा उन कारणों से नहीं किया जो उसे ही ज्ञात थे। हमें यह नहीं दर्शाया गया है कि स्कूल के प्रबंधन के पास अपीलकर्ता को उसकी सेवाओं के दौरान किसी अन्य विश्वविद्यालय से अपेक्षित डिग्री प्राप्त करने की अनुमति देने का कोई अधिकार था। यहां तक कि आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में, हालांकि अपीलकर्ता के मामले का समर्थन किया है, लेकिन ऐसा नहीं कहा।

हमारा ध्यान राम भगत शर्मा एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य [1997 (4) आरएसजे 134] में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक फैसले की ओर आकर्षित किया गया है। जिसमें यह निर्देशित किया गया था:

"छात्र समुदाय के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से, हम हरियाणा सरकार को निर्देश देते हैं कि हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद और/या हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, इलाहाबाद द्वारा प्रदान की गई योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की भविष्य में भर्ती को रोकने के लिए कदम उठाएं। साथ ही अयोग्य शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाएं। इस प्रयोजन के लिए, हरियाणा सरकार को सभी संबंधितों को लिखित निर्देश जारी करने का निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में संदर्भित संस्थानों द्वारा योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को कोई नियुक्ति नहीं दी जाएगी। हम हरियाणा सरकार को ऐसे सभी शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश देते हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद और/या हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र के आधार पर रोजगार हासिल किया है। हालांकि, जिन लोगों ने तीन साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें निर्धारित समय के भीतर अपेक्षित योग्यता हासिल करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि वे ऐसी योग्यता हासिल करने में विफल रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों

की सेवाएं समाप्त करने के लिए उचित आदेश पारित किया जाए।"

21. हम सम्मानपूर्वक उक्त दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। किसी भी स्थिति में, यह ऐसा मामला नहीं है, जहां यह न्यायालय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए है। यहां सवाल यह है कि क्या अपीलकर्ता की सेवाओं को अवैध रूप से समाप्त किया गया कहा जा सकता है या नहीं।

22. प्रबंधन परिवर्तन के बाद अपीलकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई होगी। हम यह भी मानेंगे कि उक्त कार्यवाही अवमानना कार्यवाही शुरू होने के बाद शुरू की गई थी। हालाँकि, अपीलकर्ता ने परमादेश रिट जारी करने के लिए या उसकी प्रकृति में एक रिट आवेदन दायर किया है। इसलिए उसे स्वयं में एक कानूनी अधिकार और राज्य में तद्रुरूप कानूनी कर्तव्य का अस्तित्व स्थापित करना होगा। यदि उसके पास किसी पद पर बने रहने के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं है, तो उसे पद पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हो सकता। इसलिए, यह मायने नहीं रखता कि उसके खिलाफ उक्त कार्यवाही क्यों और कब शुरू की गई थी।

श्री पी.एस. पटवालिया द्वारा शैंदा हसन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [(1990) 3 एससीसी 48] रेफर किया गया किंतु उक्त निर्णय उपयुक्त

नहीं है। उसमें राज्य की ओर से रियायत दी गई थी कि विश्वविद्यालय इस बात पर सहमत था कि वहां अपीलकर्ता को 16 साल बाद नौकरी छोड़ने के लिए कहना उसके साथ अन्याय होगा। इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसा दृष्टिकोण अपनाया गया होगा। हालाँकि, इसमें यह सवाल उठा कि क्या चयन समिति शैक्षिक योग्यता के साथ-साथ आवश्यक अनुभव में छूट दे सकती है। यह माना गया कि चयन समिति में ऐसी शक्ति मौजूद नहीं थी।

इसलिए यह एक ऐसा मामला था जहां अनुभव के संबंध में छूट मांगी गई थी और दी गई थी। यह ऐसा मामला नहीं था जहां अपीलकर्ता के पास बुनियादी शैक्षणिक योग्यता का अभाव था। यहां, हम एक ऐसे मामले से चिंतित हैं जहां अपीलकर्ता के पास बुनियादी शैक्षणिक योग्यता का अभाव था।

23. श्री पटवालिया द्वारा डॉ. एमएस मुधोल एवं अन्य बनाम एसडी हलेगकर और अन्य [(1993) 3 एससीसी 591] पर भी निर्धारण किया गया है। इस मामले में अधिकार वारंट की रिट मांगी गई थी, जिसमें यह सवाल शामिल था कि क्या अपीलकर्ता के पक्ष में दी गई डिग्री किसी अन्य डिग्री के बराबर थी या नहीं। यह पाया गया कि चूंकि सार्वजनिक हित प्रभावित नहीं होगा, इसलिए अधिकारपृच्छा रिट जारी नहीं की जा सकती

है। इसलिए न्यायालय ने अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया।

24. एक बार फिर संतोष यादव बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य [(1996) 9 एससीसी 320] को रैफर किया गया है। अपीलकर्ता के पास ऐसा डिप्लोमा था जो हरियाणा राज्य द्वारा अनुमोदित नहीं था और इसके बावजूद, राज्य की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। उक्त डिग्री की वैधता प्रश्न में नहीं थी। न केवल नियुक्तियाँ की गईं बल्कि अपीलकर्ता को 1980 में नियुक्ति की पेशकश भी की गई। उनकी सेवाओं की पुष्टि 1984 में की गई और वर्ष 1990 में उन्हें समाप्त करने की मांग की गई। इस न्यायालय ने देखा कि राज्य द्वारा स्वयं एक छूट दी गई थी जो उनके लिए उपलब्ध थी और अन्य समान रूप से स्थित हैं। उसने अपनी सेवा में नियमितीकरण प्राप्त कर लिया है, अतः उसे नौकरी से वंचित करना शिक्षा विभाग और स्कूल की ओर से गलत और मनमाना है। यहाँ वैसी स्थिति नहीं है।

25. दूसरी ओर, इसी तरह का प्रश्न, रविंदर शर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य [(1995) 1 एससीसी 138] में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। जिसमें तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई की;

"12. अपीलकर्ता को सीधे नियुक्त किया गया था। ऐसे मामले में, योग्यता या तो होनी चाहिए:

(i) स्नातक/इंटरमीडिएट द्वितीय श्रेणी या,

(ii) मैट्रिक प्रथम श्रेणी।

यह स्वीकृत है कि अपीलकर्ता के पास यह योग्यता नहीं थी। ऐसा होने पर नियुक्ति गलत है। आयोग ने विनियमावली के विनियम 7 के तहत योग्यता में छूट देने की अनुशंसा सरकार से की है। सरकार ने उस सिफ़ारिश को ख़ारिज कर दिया इसलिए, जहां नियुक्ति स्पष्ट रूप से विनियम 7 के विरुद्ध थी, वहां इसे रद्द किया जाना चाहिए था। ऐसा होने पर, रोक का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हम सम्मानपूर्वक उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं।"

26. मोहम्मद सरताज एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [जेटी 2006 (1) एससी 331] मामले में इस न्यायालय का निर्णय भी लगभग इसी आशय का है।

"यह स्थापित कानून है कि योग्यता को देखा जाना चाहिए जो उम्मीदवार के पास भर्ती की तारीख पर है, बाद के चरण में नहीं जब तक कि उस संबंध में नियम इसकी अनुमति न दें। नियम 8 के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता भर्ती की तारीख पर पूरी की जानी चाहिए। वर्ष 1994 में बीटीसी के साथ मोअल्लियम-ए-उर्दू, जामिया उर्दू अलीगढ़ की डिग्री की समकक्षता से अपीलकर्ताओं को उनकी नियुक्ति की तारीख पर लाभ नहीं मिलेगा। अपीलकर्ताओं को नियम 8 के तहत प्रशिक्षण के बिना सहायक के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में अपीलकर्ताओं की नियुक्तियाँ नियमों से परे थीं और उन्हें जारी नहीं रखा जा सकता था। उपरोक्त कारणों से, हमें अपीलों में कोई तथ्य नहीं मिला और हैं, तदनुसार, खारिज कर दिया गया।"

27. हाल ही में पुनः अशोक कुमार सोनकर बनाम भारत संघ एवं अन्य [(2007) 4 एससीसी 54] में यह निर्णीत किया गया था;

"16. निर्विवाद रूप से, अपीलकर्ता के पास उक्त कट-ऑफ तिथि तक अपेक्षित योग्यता नहीं थी। इसलिए, वह इसके लिए पात्र नहीं था।"

28. यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 के तहत जारी कठिनाइयों को दूर करने के आदेशों की प्रयोज्यता के संबंध में कुछ तर्क भी हमारे सामने रखे गए हैं। अपीलकर्ता की सेवाएं वर्ष 1997 में समाप्त कर दी गई थीं और कट ऑफ डेट सन 1998 में निर्धारित की गई थी। अतः उक्त अधिनियम हमारी राय में लागू नहीं है। राधा रायजादा बनाम प्रबंधन समिति, विद्यावती दरबारी गर्ल्स कॉलेज [1994 All एल.जे. 1077] जिसे प्रभात कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [(1996) 10 एससीसी 62] में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले के मद्देनजर इसके तहत दिए गए लाभ लागू नहीं होंगे।

29. उपरोक्त कारणों से, इस अपील में कोई योग्यता नहीं है। अपील खारिज की जाती है हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

याचिका खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कृतिका शेखावत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।